उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 18/2019/2248 /अड़तीस-7-2019-176नरेगा/2009

लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर, 2019

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 16-01-2014 व 28-08-2017 के अनुक्रम में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित लोकपालों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित मण्डलों में चयन समिति की संस्तुति के अनुसार लोकपाल नियुक्त किया जाता है:-

क्रसं0	चयनित लोकपाल का नाम एवं पता	आवंटित मण्डल
1	श्री आशीष कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री अखिलेश कुमार कुलश्रेष्ठ निवासी सी-53, ब्लाक सेक्टर-11, सिकन्दरा आवास विकास बोदला, जनपद आगरा	आगरा
2	डा0 जिनेश चन्द्र कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद कुलश्रेष्ठ निवासी 664ए/1, 3विष्णुपुरी विस्तार, जनपद अलीगढ़	अलीगढ़
3	श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री राम अवध सिंह निवासी साकिन महरूपुर, पोस्ट मुजाही बाजार, जनपद प्रतापगढ	प्रयागराज
4	श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 बद्री राम निवासी मोहल्ला आराजी बाग, पोस्ट सदर, जनपद आजमगढ	आजमगढ़
5	डा0 मकरन्द सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह म0नं0-01बी, तुलसीनगर कालोनी, पोस्ट रुहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, जनपद बरेली	बरेली
6	कु0 अंशू त्यागी पत्नी स्व0 ओ0पी0तिवारी, निवासी 474/3, शास्त्री नगर, मेरठ	मेरठ
7	श्रीमती सुनीता चैधरी पत्नी श्री राकेश कुमार ग्रा0 बिलासपुर, गंगोह, सहारनपुर	सहारनपुर
8	श्री ओम प्रकाश चौबे पुत्र स्व0 रामदुलार चैबे मो0 मातापुर, पोस्ट कचहरी, जौनपुर	वाराणसी
9	श्री तारकेश्वर शाही पुत्र श्री राम नरेश शाही ग्राम जटमलपुर, पोस्ट पिपरपाती , जनपद देवरिया	गोरखपुर
10	श्री चन्द कान्त रावत पुत्र स्व0 शंकर दयाल शास्त्री निवासी 321 सिविल लाइन, सीपी मिशन कम्पाउण्ड, जनपद झांसी	झांसी

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	श्री रामनिवास पाण्डेय पुत्र निधि पाण्डेय 112 एमआईजी, सेक्टर-4, हेमंत बिहार बर्रा-2, कानपुर नगर	कानपुर

2- उपर्युक्त लोकपाल 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किये जा रहे हैं जो 01 साल तक प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, पहले जो भी हो। कोई पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। प्रदर्शन का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3- असंतोषजनक प्रदर्शन पर लोकपाल राज्य सरकार द्वारा कभी भी हटाये जा सकते है।

4- लोकपाल के क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धित मण्डलों के जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

के0 रविन्द्र नायक
सचिव।

संख्या- 18/2019/2248 (1)/अड़तीस-7-2019तद्दिनांकः

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- संबंधित मण्डलों के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लोकपाल की तैनाती हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं दिशा निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।

9- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन सुनिश्चित करायें।

10-ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

11-संबंधित लोकपालगण।

12-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।